न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 08/2025

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. कपिल कुमार पुत्र श्री केवलचंद जाति जैन निवासी जैनों का मौहल्ला, रामसर जिला बाड़मेर (मैसर्स जय अम्बे स्वीट एण्ड कोल्ड ड्रिंक, रामसर, जिला बाड़मेर का विक्रेता एवं मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भूरचंद जांगिड़ उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 25.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी गण के प्रतिष्ठान **मैसर्स जय अम्बे स्वीट एण्ड कोल्ड ड्रिंक, रामसर, जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **18.09.2024** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मिल्क केक (मिठाई)** जो कि एक स्टील की ट्रे में 10 किग्रा भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 किलो मिल्क केक (मिठाई)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2662** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाकर उक्त खाद्य पदार्थ **मिल्क केक (मिठाई)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 27.09.2024 में उक्त खाद्य पदार्थ **मिल्क केक (मिठाई)** का नमूना को **SubStandard** पाया गया जिसकी अप्रार्थी को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.03.18 17:03:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को किसी भी स्थिति में माल को सीज करने का विधि सम्मत अधिकार नहीं है। विधि प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद भी मिल्क केक की रिपोर्ट आ गई थी। उपरोक्त माल को सीलबन्द हालात में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य के अभाव में मामला खारिज योग्य है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **27.09.2024** में उक्त नमूना **SubStandard** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **B.R. Reading of extracted fat at 40 degree C** का मानक स्तर न्यूनतम **40.0 to 44.0 (Milk fat)** के मुकाबले **46.84** पाया गया है तथा **Iodine value of extracted fat** का मानक स्तर **25.0 to 38.0** के मुकाबले **59.25** पाया गया, जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को धारा 46 की उप–धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब में प्रकट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को किसी भी स्थिति में माल को सीज करने का विधि सम्मत अधिकार नहीं है। विधि प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद भी मिल्क केक की रिपोर्ट आ गई थी। उपरोक्त माल को सीलबन्द हालात में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने [illegible] में लिंक साक्ष्य के अभाव में मामला खारिज योग्य है। अ[illegible]प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा ए[illegible]के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.03.18 17:03:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 10,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.03.18 17:03:31 IST
Reason: SelfAttested